

सं०सं०-16/एम.1-69/2025

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

उपेन्द्र राम,

सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,

वित्त(वै०दा०नि०को०)विभाग, एनेक्सी ब्लॉक 3, भूतल,

पुराना सचिवालय, पटना-800015

पटना, दिनांक-

विषय:-शेखपुरा जिला में कार्यरत नवनियुक्त आयुष फिजिषियन (आयुर्वेद) के द्वारा सिविल सर्जन कार्यालय में पदस्थापन की प्रतीक्षा में बितायी गयी अवधि का विनियमन के संबंध में।

प्रसंग:- वित्त(वै०दा०नि०को०)विभाग का पत्रांक PCFC/MED/RACS/2024/0640/2088(25) dated 27-12-2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि विज्ञापन संख्या 05/2020 के आलोक में बिहार तकनीकी सेवा आयोग से प्राप्त अनुशांसा के आलोक में स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या-302(आ.चि.), दिनांक-14.03.2024 द्वारा आयुष फिजिषियन (आयुर्वेद) को पूर्णतः औपबधिक रूप से नियुक्त करते हुए 15 दिनों का चिकित्सीय प्रशिक्षण/जानकारी लेने हेतु विभिन्न जिलों में पदस्थापित किया गया।

आदर्श आचार संहिता के प्रभावी रहने तथा भारत निर्वाचन आयोग से सहमति नहीं मिलने के कारण तदुपरांत आदर्श आचार संहिता के समापन के उपरांत स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना सं०-747(आ.चि.), दिनांक-19.07.2024 द्वारा आयुष फिजिषियन (आयुर्वेद) को विभिन्न चिकित्सीय संस्थानों यथा अनुमंडलीय अस्पताल/सदर अस्पताल आदि में पदस्थापित किया गया, जिसके आलोक में सभी आयुष फिजिषियन (आयुर्वेद) योगदान देकर कार्यरत हैं। इस प्रकार सभी आयुष फिजिषियन (आयुर्वेद) सिविल सर्जन कार्यालय में अनिवार्य पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहे, जिसमें उनका कोई दोष नहीं है।

विभागीय पत्रांक 1397(आ०चि०) दिनांक 20.12.2024 द्वारा नवनियुक्त चिकित्सकों के पदस्थापन की अनिवार्य प्रतीक्षा में बितायी गयी अवधि को कतिपय शर्तों के साथ विनियमन किया जा चुका है। वित्त (वै०दा०नि०को०)विभाग के प्रासंगिक पत्र के आलोक में जिन चिकित्सा पदाधिकारियों द्वारा विनियमन की शर्तें पूरी कर ली गयी हैं उनका समेकित विनियमन सूचना अवधि सहित निम्नवत है:-

Handwritten signature

Handwritten signature

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापन स्थल	अवधि जिनका विनियमन किया जाना है।	अवकाश उपभोग की सूचना	यदि वेतन पुर्जा निर्गत हो गया है, तो वेतन पुर्जा संख्या	यदि वेतन पुर्जा निर्गत नहीं हुआ है तो PRAN/GPF संख्या	सेवा विनियमन के प्रकार
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डॉ० उदय कुमार आयुष फिजिषियन आयुर्वेद	सदर अस्पताल शेखपुरा	दिनांक 15 03 2024 19 07 2024 तक 127 दिन	—	27092425052822		प्रशिक्षण अवधि

उक्त अवधि में उनकी कोटि का वेतन देय होगा।

प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/—

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक—16/एम.1 —69/2025 — 409 (आ. वि.)

पटना, दिनांक— 12.3.2026

प्रतिलिपि:—महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—सिविल सर्जन, शेखपुरा/कोषागार पदाधिकारी, शेखपुरा/संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल, शेखपुरा/संबंधित आयुष फिजिषियन (आयुर्वेद) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—आई0टी0 प्रबंधक, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

12/03/2026
सरकार के अवर सचिव